रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 854] नई दिल्ली, सोमवार, अक्तूबर 16, 2017/आश्विन 24, 1939
No. 854] NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 16, 2017/ASVINA 24, 1939

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 अक्तूबर, 2017

सा.का.नि. 1300(अ).- केन्द्रीय सरकार, धन-शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (2003 का 15) की धारा 73 की उप-धारा (2) के खंड (झ), खंड (ञ), खंड (ञञ), खंड (ञञञ) और खंड (ट) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, धन-शोधन निवारण (अभिलेख रखना) नियम, 2005 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों को धन-शोधन निवारण (अभिलेख रखना) पांचवां संशोधन नियम, 2017 कहा जाएगा।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. धन-शोधन निवारण (अभिलेख रखना) नियम, 2005 के नियम 9 में,-

(i) उप-नियम (4) में, परंतुक के पश्चात् निम्नलिखित स्पष्टीकरण अन्तःस्थापित किया जाएगा :-

"स्पष्टीकरण :- रिपोर्टिंग अस्तित्व द्वारा प्रमाणित प्रति अभिप्राप्त करने से अभिप्राय ग्राहक द्वारा मूल के साथ, प्रस्तुत की गई शासकीय विधिमान्य दस्तावेज की प्रति से तुलना और विनियामक द्वारा विहित रीति में रिपोर्टिंग अस्तित्व के प्राधिकृत प्राधिकारी द्वारा प्रति पर उसी का अभिलेखन करना होगा।";

(ii) उप-नियम (18) में निम्नलिखित परंतुक अन्तःस्थापित किया जाएगा :-

"परंतु ग्राहक द्वारा प्रस्तुत किए गए शासकीय विधिमान्य दस्तावेज में अध्यतन पता अन्तर्विष्ट नहीं है, की दशा में निम्नलिखित दस्तावेज पते के सबूत के सीमित प्रयोजन के लिए शासकीय विधिमान्य दस्तावेज समझा जाएगा :-

(क) किसी सेवा प्रदाता का उपयोगिता बिल, जो दो माह से अधिक पुराना न हो ; (विद्युत, दूरभाष, पोस्ट-पेड मोबाइल फोन, पाईप गैस, जल बिल) ;

(ख) सम्पत्ति या नगरपालिका कर की रसीद ;

(ग) सरकारी विभागों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों द्वारा सेवा निवृत्त कर्मचारियों को जारी किए गए पेंशन या कुटम्ब पेंशन संदाय आदेश (पी.पी.ओ.एस), यदि उसमें पता अन्तर्विष्ट हो ;

(घ) राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार के विभागों, कानूनी या विनियामक निकायों, पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों, वित्तीय संस्थानों और सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा जारी नियोजक से प्राप्त आवास के आबंटन का पत्र और ऐसे शासकीय आवास आबंटित करने वाले नियोजक के साथ इजाजत और अनुज्ञप्ति करार ;

परंतु यह और कि ग्राहक उपरोक्त दस्तावेजों के प्रस्तुत किए जाने के तीन माह के भीतर वर्तमान पते के साथ अध्यतन विधिमान्य शासकीय दस्तावेज प्रस्तुत करेगा।

[अधि. सं.6/2017/फा.सं. पी.12011/11/2016-ईएस सेल-डीओआर]

बिप्लव कुमार नस्कर, अवर सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. सं. 444(अ), तारीख 1 जुलाई, 2005 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् सा.का.नि. सं. 717(अ), तारीख 13 सितम्बर, 2005; सा.का.नि. सं. 389(अ), तारीख 24 मई, 2007; सा.का.नि. सं. 816(अ), तारीख 12 नवम्बर, 2009; सा.का.नि. सं. 76(अ), तारीख 12 फरवरी, 2010; सा.का.नि. सं. 508(अ), तारीख 16 जून, 2010; सा.का.नि. सं. 980(अ), तारीख 16 दिसम्बर, 2010; सा.का.नि. सं. 481(अ), तारीख 24 जून, 2011; सा.का.नि. सं. 576(अ), तारीख 27 अगस्त, 2013; सा.का.नि. सं. 288(अ), तारीख 15 अप्रैल, 2015; सा.का.नि. सं. 544(अ), तारीख 7 जुलाई, 2015; सा.का.नि. सं. 693(अ), तारीख 11 सितम्बर, 2015; सा.का.नि. सं. 730(अ), तारीख 22 सितम्बर, 2015; सा.का.नि. सं. 882(अ), तारीख 18 नवम्बर, 2015; सा.का.नि. सं. 347(अ), तारीख 12 अप्रैल, 2017; सा.का.नि. सं 538(अ), तारीख 1 जून, 2017; सा.का.नि. सं. 1038(अ), तारीख 21 अगस्त, 2017 और सा.का.नि. सं. 1057(अ), तारीख 23 अगस्त, 2017 द्वारा संशोधित किए गए थे।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th October, 2017

G.S.R 1300(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clauses (i), (j), (jj), (jjj) and (k) of sub-section (2) of section 73 of the Prevention of Money-laundering Act, 2002 (15 of 2003), the Central Government hereby makes the following further amendments to the Prevention of Money-laundering (Maintenance of Records) Rules, 2005, namely:-

1. (1) These rules may be called the Prevention of Money-laundering (Maintenance of Records) Fifth Amendment Rules, 2017.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Prevention of Money-laundering (Maintenance of Records) Rules, 2005, in rule 9,-

(i) in sub-rule (4), after the proviso, the following explanation shall be inserted, namely:-

"Explanation.- Obtaining a certified copy by reporting entity shall mean comparing the copy of officially valid document so produced by the client with the original and recording the same on the copy by the authorised officer of the reporting entity in a manner prescribed by the regulator.";

(ii) in sub-rule (18), the following provisos shall be inserted, namely:--

"Provided that in case of officially valid document furnished by the client does not contain updated address, the following documents shall be deemed to be officially valid documents for the limited purpose of proof of address:-

(a) utility bill which is not more than two months old of any service provider (electricity, telephone, post-paid mobile phone, piped gas, water bill);
(b) property or Municipal tax receipt;
(c) pension or family pension payment orders (PPOs) issued to retired employees by Government Departments or Public Sector Undertakings, if they contain the address;
(d) letter of allotment of accommodation from employer issued by State Government or Central Government Departments, statutory or regulatory bodies, public sector undertakings, scheduled commercial banks, financial institutions and listed companies and leave and licence agreements with such employers allotting official accommodation;

Provided further that the client shall submit updated officially valid document with current address within a period of three months of submitting the above documents.".

[Notification No. 6 /2017/F.No. P.12011/11/2016-ES Cell-DoR

BIPLAB KUMAR NASKAR, Under Secy.

Note :- The principal rules were published in Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-Section (i) vide number G.S.R. 444 (E), dated the 1st July, 2005 and subsequently amended by number G.S.R. 717 (E), dated the 13th December, 2005, number G.S.R. 389 (E), dated the 24th May, 2007, number G.S.R.816 (E), dated the 12th November, 2009, number G.S.R. 76 (E), dated the 12th February, 2010, number G.S.R. 508 (E), dated the 16th June, 2010, number G.S.R. 980 (E), dated the 16th December, 2010, number G.S.R. 481 (E), dated the 24th June, 2011 and number G.S.R. 576 (E), dated the 27th August, 2013, number G.S.R. 288 (E), dated the 15th April, 2015, number G.S.R. 544 (E), dated the 7th July, 2015, number G.S.R. 693 (E), dated the 11th September, 2015, number G.S.R. 730 (E), dated the 22nd September, 2015, number G.S.R. 882 (E), dated the 18th November, 2015, number G.S.R. 347 (E), dated the 12th April, 2017, number G.S.R. 538 (E), dated the 1st June, 2017, number G.S.R. 1038 (E), dated the 21st August, 2017 and number G.S.R. 1057 (E), dated the 23rd August, 2017.

RAKESH SUKUL Digitally signed by RAKESH SUKUL Date: 2017.10.18 14:48:44 +05'30'

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.